न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—228/2012/75 एल.आर.एक्ट (2012/00103)

1. किशना पुत्र श्री गंगाराम, आयु 62 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बेवन्जा, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. चन्दा पत्नी स्वर्गीय श्री उगमा
2. श्रवण पुत्र स्वर्गीय श्री उगमा
3. शांति पुत्री स्वर्गीय श्री उगमा
4. जगदीश पुत्र स्वर्गीय श्री उगमा
5. गीता पुत्री स्वर्गीय श्री उगमा
6. देवी पुत्री स्वर्गीय श्री उगमा
   समस्त जातियान प्रजापत, निवासीगण ग्राम दिलवाडा, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1978 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—22.01.2026

1. यह अपील आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1978 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.05.1978 को ग्राम बेवन्जा में उगमा पुत्र श्री लादू कुम्हार साकिन दिलवाडा तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के नाम ग्राम बेवन्जा में आस्थित भूमि पुराना खसरा नम्बर 1238 नया खसरा नम्बर 1182 में से रकबा 12 बीघा भूमि का आवंटन केम्प बेवन्जा में किया गया, जबकि अपीलान्ट उक्त आराजी पर काफी वर्षों से काबिज काश्त है तथा उक्त आवंटन दिनांक 19.05.1978 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किए गए आदेश में उगमा पुत्र श्री लादू कुम्हार के स्थान पर जाट अंकन कर आदेश पारित किया गया तथा

उगमा पुत्र लादू कुम्हार के नाम पुराने खसरा नम्बर 1238 के वर्किंग नए खसरा नम्बर 1182 के वर्तमान आधार जमाबन्दी में बने हाल खसरा नम्बर 2399 रकबा 0.211. 2400/3023 रकबा 0.20, 2447/3022 रकबा 0.39, 2448/2970 रकबा 1.138 का वर्तमान आधार जमाबन्दी में गैर खातेदार अंकन किया गया, जबकि उक्त आराजी बाबत् उद्घोषण जारी ही नहीं की गई, उसके बावजूद उगमा पुत्र श्री लादू कुम्हार को उक्त खसरा नम्बर में से रकबा 12 बीघा का आवंटन कर दिया गया, तथा हाल ही में उगमा पुत्र श्री लादू कुम्हार, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 6 ने उक्त रकबे के आवंटन के आधार पर जहां पर प्रार्थी काबिज काश्त है, को अपने नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का आवंटन तहसील में अपने नाम करने के लिए पेश करने के लिए कहा तथा कब्जा करने की धमकी दी, तब अपीलार्थी को उक्त आवंटन आदेशों की जानकारी हुई। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1978 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु पत्रावली में प्रमाणित प्रति संलग्न है, जिसे रिकार्ड मानकर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण की कब्जा काश्त भूमि आराजीयात साबिक पुराने खसरा नं.–1238 के वर्किंग नए खसरा नम्बर 1182 के वर्तमान आधार जमाबन्दी में बने हाल खसरा नम्बर 2399 रकबा 0.211, 2400/3023 रकबा 0.20, 2447/3022 रकबा 0.39. 2448/2970 रकबा 1.138 भूमि थी, जिस पर वर्षो से पूर्वजों के समय से अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे है, तथा उक्त भूमि से रेस्पोडेन्टगण को गलत रूप से नियम विरूद्ध रूप से भूमि आवंटन किया गया है, जबकि अपीलान्ट के अलावा भूमि आवंटन नहीं की जा सकती थी, किन्तु अदालत मातहत द्वारा गलत एवं सभी नियमों की अनदेखी करते हुए एकतरफा विवादित भूमि खिलाफ पार्टी रेस्पोडेन्ट को आवंटन करने का एकतरफा गलत आदेश पारित कर दिया गया है। आवंटन सलाहकार समिति के उक्त फैसले से प्रार्थीगण/अपीलान्ट के हकों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है तथा वह पीड़ित पक्षकार है, अधीनस्थ अदालत आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष उनको न तो पक्षकार बनाया गया है, एवं ना ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा आवंटन समिति के समक्ष प्रार्थी को पक्षकार नहीं बनाया

गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट व्यथित व हितबद्ध पक्षकार होने व अपीलांट द्वारा किए गए कथन संतोषप्रद व उचित प्रतीत होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 जा0दी0 को न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

R.B.J(8)2001 PAGE 313-***"CIVIL PROCEDURE CODE, 1908-SECTION 96****- when a person is not a party in the lower court, but if he is a affected party, court should grant him leave for filling an appeal".*

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

6. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अदालत मातहत आवंटन सलाहकार समिति के फैसले के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष उपरोक्त उनवानी अपील पेश कर दी गई है। जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण आशा निहित है, जिसे प्रार्थना पत्र का भाग माना जाए। प्रार्थी ग्रामीण काश्तकार पेशा व्यक्ति है तथा विवादित भूमि हमेशा से उसके कब्जे एवं काश्त में रही है और आज भी उसी का भूमि पर कब्जा है एवं आवंटन सलाहकार समिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना तो उनको पक्षकार बनाया गया है और ना ही कोई नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया तथा समस्त कार्यवाही एकतरफा में की गई है। प्रार्थी को अदालत मातहत के फैसले की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.03.2012 को हुई। उस वक्त जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अपने नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा भूमि पर जबरदस्ती खिलाफ पार्टी संख्या–1 से 6 ने कब्जा करने का प्रयास किया। प्रार्थी द्वारा इसका विरोध किया गया जिस पर खिलाफ पार्टी द्वारा अदालत मातहत को फैसले की एवज में एलानियां धमकी दी गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.03.2012 को तहसील कार्यालय, अजमेर में जाकर अदालत मातहत के फैसले की जानकारी तस्दीक हो जाने के उपरान्त उनके द्वारा बिना किसी देरी के अदालत मातहत के फैसले की नकल हेतु आवेदन किया गया तथा नकल प्राप्त कर कानूनी राय लेकर न्यायालय के समक्ष बिना किसी देरी के अपील पेश की गई है, जो अपील जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

7. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के

गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने कई न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यथासंभव प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर गुणावगुण पर किया जाना चाहिए।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को न्यायहित में क्षमा किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

8. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात साबिक पुराने खसरा नम्बर 1238 के वर्किंग नए खसरा नम्बर 1182 के वर्तमान आधार जमाबन्दी में बने हाल खसरा नम्बर 2399 रकबा 0.211, 2400/3023 रकबा 0.20, 2447/3022 रकबा 0.39, 2448/2970 रकबा 1.138 बने तथा उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी किशना पुत्र गंगाराम गुर्जर निवासी बेवन्जा अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अपीलार्थी ने कब्जे काश्त की उपरोक्त भूमि में सलाहकार समिति आवंटन अधिकारियों द्वारा एकतरफा भूमि उगमा पुत्र लादू जाति कुम्हार, निवासी दिलवाड़ा के नाम गलत रूप से आवंटन किया गया है, जिसका भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा उगमा पुत्र लादू की मृत्यु हो गई, के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 6 है, जिनका उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है तथा ना ही कब्जे काश्त की भूमि रही है, जिससे उपरोक्त वादग्रस्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजीयात में पुराने खसरा नं.–1238 के नए खसरा नं.–1182 पर अपीलार्थी काफी वर्षो से काबिज काश्त है तथा उक्त विवादित आराजी आवंटन करने की उद्घोषणा जारी नहीं की गई थी, इसलिए अपीलार्थी ने आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था, उसके बावजूद उगमा पुत्र श्री लादू को आवंटन किया गया, इस प्रकार भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 7 की पालना नहीं होने से किया गया आवंटन निरस्त होने योग्य है। कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 11 के तहत यदि नियम 7 की उद्घोषणा जारी कर आवंटन किया जाता है तो अपीलार्थी अलॉटमेन्ट करवाने की प्रथम वरियता रखता है, क्योंकि उगमा पुत्र श्री लादू कुम्हार ग्राम दिलवाडा का रहने वाला है तथा अपीलार्थी ग्राम बेवन्जा का रहने वाला है तथा बेवन्जा की भूमि का आवंटन किया गया है, जिस पर अपीलार्थी काबिज काश्त चला आ रहा है, इसलिए भी आवंटन निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 6 एवं आवंटनधारी उगमा पुत्र लादू कुम्हार भूमिहीन कृषक नहीं है, उनके पास पूर्व में भी काफी आराजी है और उक्त सभी तथ्यों को आवंटनधारी उगमा पुत्र श्री लादू कुम्हार ने अपने आवेदन में छिपाया है तथा आवंटनधारी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या–1 लगायत 6 ने स्वयं कभी उपरोक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया है, ना ही इनका कभी कब्जा रहा है। किन्तु आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि भूमि

प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 की पालना नहीं करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन किया है, जो कि अपास्त किए जाने योग्य है। विवादित भूमि अपीलार्थी के नाम खसरा परिवर्तनशील खसरा गिरदावरी एवं धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की पर्चा प्रमाणन में नाम रही है तथा पुश्तैनी समय से अपीलार्थी भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा निरन्तर हमेशा काबिज काश्त रहा है, किन्तु अपीलार्थी को बिना नोटिस सूचना दिशा निर्देश जारी किए आवंटन नियमों का पालन नहीं करते हुए मनमाने तौर पर गलत तरीके से भूमि उगमा पुत्र लादू के नाम आवंटन की गई है, जो कि निरस्त होने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1978 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. विद्वान राजकीय अधिवक्ता वर्तमान प्रकरण में फोर्मल पक्षकार हैं। न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय में उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

10. हमारे द्वारा अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन हमने पाया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा रेस्पोडेंट्स को दिनांक 19.05.1978 को ग्राम बेवन्जा में पुराना खसरा नम्बर 1238 व नया खसरा नम्बर 1182 में 12 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार रेस्पोडेंट्स के पिता/पति द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय अनभिधृत भूमि आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र की सलाहकार समिति द्वारा जांच किए जाने के उपरांत आवेदन पत्र में अनुबंधित शर्तों अनुसार प्रार्थी/रेस्पोडेंट राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुसार भूमिहीन व्यक्ति है तथा प्रार्थी/रेस्पोडेंट अथवा प्रार्थी के संयुक्त परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई काबिल काश्त भूमि नहीं होने से तथा प्रार्थी/रेस्पोडेंट द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत किए गए। इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.05.1978 को ग्राम बेवन्जा में उगमा पुत्र लादू को ग्राम बेवन्जा में पुराना खसरा नम्बर 1238 व नया खसरा नम्बर 1182 में 12 बीघा भूमि प्रार्थी/रेस्पोडेंट को नियमानुसार विधिसम्मत रूप से आवंटित की गई।

अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया कि विवादित आराजीयात साबिक पुराने खसरा नम्बर 1238 के वर्किंग नए खसरा नम्बर 1182 के वर्तमान आधार जमाबन्दी में बने हाल खसरा नम्बर 2399 रकबा 0.211, 2400/3023 रकबा 0.20, 2447/3022 रकबा 0.39, 2448/2970 रकबा 1.138 बने तथा उपरोक्त भूमि पर अपीलार्थी किशना पुत्र गंगाराम गुर्जर निवासी बेवन्जा अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चला आ रहा है तथा अपीलार्थी ने कब्जे काश्त की

उपरोक्त भूमि में सलाहकार समिति आवंटन अधिकारियों द्वारा एकतरफा भूमि उगमा पुत्र लादू जाति कुम्हार, निवासी दिलवाड़ा के नाम गलत रूप से आवंटन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय तहसीलदार, नसीराबाद द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन अपीलांट किशना गुर्जर को समय समय पर धारा 91 के नोटिस जारी किए गए। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त आराजीयात पर एक अतिक्रमी की हैसियत से विद्यमान है। जिनके विरूद्ध तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी कर बेदखली की कार्यवाही भी की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का हक अधिकार निहित नहीं है। चूंकि सलाहकार समिति के समक्ष किसी प्रकार की कार्यवाही में अपीलांट का नाम नहीं है ना ही आवंटन समिति के समक्ष अपीलांट द्वारा किसी प्रकार का आवेदन किया गया था। उक्त भूमि रेस्पोडेंट के पिता/पति को कृषि प्रयोजनार्थ हेतु नियमानुसार सभी शर्तों की विधिवत पालना किए जाने व आवंटन समिति द्वारा समस्त तथ्यों की जांच व निरीक्षण के पश्चात आवंटित की गई है। अपीलांट द्वारा कहे गए कथन सदभाविक प्रतीत नहीं होने से व आवंटन समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाए जाने से उक्त आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

11. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है, तथा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 19.05.1978 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर